खाप पंचायतों की अप्रासंगिता

प्रो. उदयवीर

विगत कुछ समय से हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों की सक्रियता कुछ इस प्रकार बढ़ी है कि वह अच्छी-खासी चर्चा का विषय बन गया है। इस सक्रियता के केंद्र बिंदू ऐसे शादी-विवाह रहे हैं जो पुरानी परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक तथा जातीय मान्यतों का उल्लंघन करते हैं। इन मान्यतों में एक ही गोत्र और एक ही गांव में शादी सामाजिक तौर पर मान्य नहीं हैं। मां और दादी को गोत्र भी शादी के समय बचाया जाता है। यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और सामन्यत: इनका पालन भी होता रहा है। कालान्तर में इसमें और भी पेचीदगियां जुड़ गईं जैसे यदि एक गांव में एक से अधिक गोत्र के लोग रहते हैं तो उन सबका भाईचारा माना जाता है और उन सभी गोत्रों में भी शादी अमान्य समझी जाती रही है। पिछले कुछ दिनों में खाप पंचायतों ने ऐसी ही शादियों को लेकर कड़ा रुख अपना कर इन्हें या तो अवैध घोषित कर पति-पत्नी को भाई-बहन का रिश्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत से मामलों में गांव निकाला दे दिया और उनकी संपत्ति कुर्क करने की धमकी भी देनी शुरू कर दी। ऐसे कई मामलों में हद तो तब हो गई जब उन्हें मारने की धमकी दी गई तथा हत्या की कुछ घटनायें भी सामने आईं। इज्जत के लिए हत्या तो चुप-चुपाते न जाने कितने वर्षों से होती ही आई है जिनकी राज्य सरकार को ख़बर तक लगने नहीं दी गई। इस तरह की घटनाओं को इलाके में मौन स्वीकृति मिलती रही है। कानून ने कभी-कभार ही ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है। वह भी मीडिया, मानवाधिकार एवं प्रगतिशील संगठनों के दबाव में आकर।

पिछले दिनों जब मनोज-बबली हत्याकांड में न्यायालय ने इस अपराध का संज्ञान लेते हुए खाप के पंचों के विरुद्ध कड़ी सजा सुनाई तो खाप पंचायतें भड़क उठीं और विरोधस्वरूप उनकी बड़ी-बड़ी सर्व खाप पंचायतों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। सर्व खापों ने न्यायालय तथा राज्य के कानून को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी। अपने आप को न्यायाधीश के समकक्ष और अपनी मान्यताओं को कानून से ऊपर घोषित करना शुरू कर दिया। यह सामाजिक परंपराओं और राज्य के कानून के बीच टकराहट है जिसमें कुछ नया होना स्थापित होना है। खाप एक सामाजिक, मध्ययुगीन तथा जनजातीययुगीन संस्था है जो उस समय के समाज को नियंत्रित तथा निर्देशित करने के लिए उस समाज की जरूरतों से उपजी थी। उसे उस समाज से स्वीकृति प्राप्त थी, क्योंकि वह समाज को सुरक्षा प्रदान करती थी। धीरे-धीरे जनजातियां जातियों में परिवर्तित होती गईं और आधुनिक राज्य के औद्योगिक युग में जातियां जब वर्ग में परिवर्तित होने के कगार पर पहुंचने लगीं, तब भी ये मध्ययुगीन सामाजिक संस्थायें इनके पीछे-पीछे मन मार कर चलती रहीं और अपनी उपस्थिति गाहे-ब- गाहे दर्ज कराती रही हैं।

अभी तक ये संस्थायें केवल कुछ सामाजिक सुधार के मामलों तक अपने आपको सीमित रखती थीं, लेकिन अब इनका टकराव राज्य और कानून से होने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान राजनैतिक दलों द्वारा चुनावों में इनका खुल्लमखुल्ला इस्तेमाल। वोट की राजनीति ने इनको ताकतवर बना दिया। चुनावों में खाप पंचायतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशी इनका भरपूर इस्तेमाल करने लगे हैं। परिणामस्वरूप ये खाप पंचायतें अपने आपको एक राजनैतिक शक्ति मानने लगी हैं और सत्ता के गलियारे का तिलिस्म उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि यह एक दिवास्वप्न है। वे यह भूल जाते हैं कि वे बीते वक्त की चीज हैं जो आज के समाज में केवल संग्रहालय की वस्तु हैं। आज आधुनिक राज्य का युग है जो कानून पर आधारित राजनैतिक संगठन है। वह परम्पराओं को जीवित नहीं रखता, अपितु उनकी जगह कानून का निर्माण करता है, उसे लागू करता है और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करता है। परंपराओं और परंपरावादी संरचनाओं का आधुनिक राज्य के अधिष्ठाता केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल अवश्य कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। वे दिखावे के लिए तथा आम आदमी का समर्थन तो करते हैं, पर राजनीतिक रूप से इन संस्थाओं को कभी निर्णायक भूमिका नहीं देते।

इंगलैंड में राजा की संस्था तथा सामंती लोगों की हाऊस ऑफ लार्डस की संस्था को जीवित रखा गया है, लेकिन दंतहीन बना कर और एक शो पीस बना कर। खाप पंचायतें एक और दृष्टिकोण से भी आधुनिक विकासशील युग में बेकार हो चुकी है। पहले तो वह सर्वजातीय नहीं है। उन पर केवल एक-दो जाति वाले पंचों का वर्चस्व है। अत: वह अपने आप को समाज की प्रतिनिधि नहीं कह सकती। फिर उनके मनोनयन और निर्वाचन की भी कोई प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं है। अधिकांशत: वह पैतृक है। महिलाओं का तो उनमें दूर-दूर तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

अत: ये पूर्णतया अप्रजातांत्रिक हैं। उन्हें कानून की भी किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग और भी अधिक हास्यास्पद है। यह एक्ट भारत के बहुत बड़े विस्तृत हिंदू समाज के लिए बनाया गया है जिसमें न जाने कितनी विविधतायें हैं। खास तौर से शादी के रिवाजों को लेकर उत्तरी भारत की कुछ जातियों में की मांग को लेकर पूरे भारत के हिंदू विवाह कानून में परिवर्तन हास्यास्पद है। आधुनिक राज्य का कार्य सभी सार्थक रीति-रिवाजों को संहिताबद्ध करना है। यह कार्य राज्य की विधायिका का है और वे अपनी भूमिका कभी भी पुरानी संरचना के पंचों को नहीं सौंप सकते। उसे वे अपने ही हाथ में रखेंगे।

हां, वे पुरानी संरचनाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल अवश्य करते रहेंगे। यह द्वंद्व चलता रहेगा जब तक कोई एक ताकत दूसरी पर निर्णायक जीत प्राप्त न कर ले। अत: इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है कि आधुनिक उदार-प्रगतिवादी-वैज्ञानिक सोच की जो एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है।

खाप पंचायतें और औरतें

हरियाणा में खाप पंचायतों के फैसले इन दिनों सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों रोहतक के महम खेड़ी गांव में खाप पंचायत द्वारा फरमान जारी कर एक विवाहित जोड़े-सतीश और कविता को शादी के तीन साल बाद भाई-बहन बनाया गया। लड़के के पिता आजाद सिंह के मुंह में जूता ठूंसा गया और खुद को अपने ही पोते का नाना घोषित करने पर मजबूर कर दिया गया। खाप पंचायतों द्वारा बर्बर फैसले की यह अकेली घटना नहीं है। सन् 2009 में ही बहुत सारे प्रेमियों और लड़कियों को मौत के घाट उतारा गया। अप्रैल 2009 में कैथल के करोड़ा गांव में एक ही गोत्र में विवाह करने पर मनोज और बबली को बस से उतार कर मौत की नींद सुला दिया गया। जुलाई 2009 में जींद के सिंघवाल की सोनिया से विवाह करने वाले वेदपाल को पुलिस संरक्षण के बावजूद भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। अगस्त में बलहम्बा गांव में प्रेम-प्रसंग के संदेह में अनिल और रानी की नृशंस हत्या कर दी गई। अगस्त में ही झज्जर के सिवाना गांव में प्रेमी युगल संदीप और मोनिका की हत्या कर शवों को एक खेत में पेड़ पर लटका दिया गया। ये घटनायें ऐसी हैं जो अख़बार और टीवी में आकर लोगों के बीच चर्चित हुईं। ऐसी कितनी ही घटनायें आये दिन होती हैं जो घर की तंग दीवारों के भीतर ही चुपचाप अंजाम तक पहंचा दी जाती हैं, सल्फास या करंट दे कर, जिसे 'ऑनर किलिंग' के नाम पर पूरा गांव समर्थन करता है।

पर अब हालात बदल रहे हैं। रात के बाद ही भोर होती है। महम गांव में खाप पंचायतों के मनमाने और अवैध फैसलों के विरोध में वहां की युवा पंचायत ने अपना सशक्त विरोध प्रदर्शित किया और दो खाप, पंवार बारह और सतगाम खाप ने महम खेड़ी गांव की घटना की निंदा की। जगमती सांगवान के नेतृत्व में महिला संगठनों ने भी खाप पंचायतों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जहां सरकार खापों को नियंत्रित करने में असफल रही है, वहीं नौजवानों का कहना है कि लोहा लोहे को काटेगा। यह सच भी है। पुरानी पिछड़ी मान्यताओं और संस्थाओं को नौजवान ही बदल सकते हैं। बढ़ती हुई शिक्षा और चेतना तथा लड़के-लड़कियों के मध्य बढ़ते संवाद और मेल-जोल ने उनके बीच समझदारी, स्वस्थ मित्रता और अपने जीवन के विषय में खुद निर्णय लेने की इच्छा बढ़ाई है। 'ऑनर किलिंग' के बावजूद लड़के-लड़कियां अपने बारे में स्वयं फैसला ले रहे हैं और अब उनकी मदद के लिए समाज के अग्रगामी लोग भी आ रहे हैं। यह एक नयी शुरुआत और आशा की किरण है।

आखिर ये खाप पंचायतें हैं क्या? ये आम जाति पंचायतों या सामुदायिक से अलग जाट जाति के विभिन्न गोत्रों द्वारा स्थापित पंचायतें हैं जिनका जन्म मध्यकाल में हुआ था और जिनका काम सामाजिक मर्यादा की हिफ़ाजत करना, स्थानीय स्वशासन बनाये रखना और बाहरी आक्रमण से समुदाय की रक्षा करना था। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में, जहां संविधान, कानून, राज मशीनरी और पंचायती राज की संस्थायें अस्तित्व में हैं, वहां मध्ययुगीन संस्थाओं का क्या औचित्य है? ये खाप पंचायतें अक्सर कानून-व्यवस्था और पंचायती राज का मजाक उड़ाती दिखती हैं। ये तय करती हैं कि किसे किसके साथ जीना चाहिए, शादी करनी चाहिए, किसे जिंदा रहना चाहिए और किसे मार दिया जाना चाहिए।

आज जबकि सरकार द्वारा स्थापित पंचायतें जातिगत राजनीति और भ्रष्टाचार की गिरफ़्त में हैं, ऐसे में खाप पंचायतों को फिर से सामाजिक मुद्दों में दखल देने का अवसर मिल रहा है। और तो और, जातिगत वोट की राजनीति के चलते कोई भी राजनीतिक दल इन पंचायतों से टकराव नहीं मोल लेना चाहता। सभी पार्टियों के नेताओं ने बड़ा वोट बैंक होने के चलते उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

बदलते आर्थिक-सामाजिक परिवेश, संयुक्त परिवारों के विघटन, नई आर्थिक नीतियों और अलाभकारी होती खेती के कारण भारी संख्या में जाट परिवार हाशिये पर धकेल दिये गये हैं। भारी कर्ज और भी मुसीबत बना हुआ है। बढ़ती जनसंख्या और परिवारों में बंटवारे के चलते परिवार पीछे ज़मीन का रकबा दिनोंदिन घटता जा रहा है। खेती-किसानी से तो गुजारा हो नहीं रहा है, सरकारी या निजी क्षेत्र में सम्मानजनक रोज़गार भी नहीं मिल रहा है।

उन्हें अपनी ज़मीनों से वंचित हो जाने का ख़तरा महसूस होता है। उन्हें यह भी डर है कि वे अन्य दलित और पिछड़ी जातियों की तरह भूमिहीन किसानों की श्रेणी में आ जायेंगे और वे जमींदार तथा 'जाट' होने का गौरव खो देंगे। आर्थिक तबाही के चलते ग़रीब जाटों में व्याप्त इस मनोवैज्ञानिक भय को और बेरोज़गार नौजवानों की असीम उर्जा को विभिन्न खापों के चौधरी भुनाते हैं और खाप मानसिकता से उन्हें उबरने नहीं देते। इन युवाओं की रचनात्मक शक्ति को सही दिशा देने वाला कोई सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन भी नहीं है। लेकिन इन 'ऑनर किलिंग' के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण ही नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि जाटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं को लेकर मध्ययुगीन, सामंती संस्कार और मानसिकता से ग्रस्त है। शहरों में भले ही आज लड़कियां पढ़ रही हों, पर मुख्यत: उन्हें बोझ ही माना जाता है। यहां तक कि गर्भ में लड़का-लड़की की जांच करवा कर उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है हरियाणा की जनसंख्या में पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की लगातार घटती संख्या जो 1991 में 865 से घट कर 2001 में 861 रह गई। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में यह अनुपात और भी कम है। जाहिर है कि 20-25 फीसदी नौजवानों की शादी अपनी जाति या प्रांत में संभव ही नहीं है। जिस प्रांत में अपनी इच्छा के अनुसार जीने की चाहत रखने वाली लड़कियों को 'ऑनर किलिंग' यानी गोत्र और जाति की मर्यादा बचाने के नाम पर या पैदा होने से पहले ही मार डाला जाता है, वहां हालत यह है कि लड़कियों के अभाव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। हरियाणा के हर गांव में आपको रात के समय घर के बाहर बुग्गियों पर सोते 35-40 साल के कुंआरे मिल जायेंगे जिन्हें विवाहित न होने के कारण घर में अपना कमरा नहीं मिल पाया है। यहां के गांवों में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिसमें लड़कियां बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नेपाल, कर्नाटक और यहां तक कि केरल से खरीद कर लाई गईं हैं। जहां प्रेम करने या अपनी मर्जी से गोत्र के अंदर विवाह करने पर पूरे गांव को शर्म आती है और उसकी मौन सहमति या खुले समर्थन से बर्बरतापूर्वक मार डाला जाता है, वहीं लड़की खरीद कर लाने पर उनका गोत्र आड़े नहीं आता। तब वे यह नहीं देखते कि उस लड़की की जाति अथवा गोत्र क्या है। तब उनकी मर्यादा पर आंच नहीं आती और उन्हें शर्म भी नहीं आती, क्योंकि उन्हें सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए लाया जाता है। अगर ऐसा न करें तो कितने ही जाट परिवारों के वंश डूब जायें। यह एक विकट समस्या है जिसकी चिंता खाप पंचायतों के चौधरियों और राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष पर विराजमान नेताओं को नहीं है। इस पर कोई पंचायत नहीं होती कि गर्भ में में स्त्री शिशु की हत्या जैसा नृशंस, अमानुषिक और गैरकानूनी कुकृत्य बंद हो ताकि समाज में औरत-मर्द का अनुपात संतुलित हो। पर अब हालात बदल रहे हैं। रात के बाद ही भोर होती है। महम गांव में खाप पंचायतों के मनमाने और अवैध फैसलों के विरोध में वहां की युवा पंचायत ने अपना सशक्त विरोध प्रदर्शित किया और दो खाप, पंवार बारह और सतगाम खाप ने महम खेड़ी गांव की घटना की निंदा की। जगमती सांगवान के नेतृत्व में महिला संगठनों ने भी खाप पंचायतों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जहां सरकार खापों को नियंत्रित करने में असफल रही है, वहीं नौजवानों का कहना है कि लोहा लोहे को काटेगा। यह सच भी है। पुरानी पिछड़ी मान्यताओं और संस्थाओं को नौजवान ही बदल सकते हैं। बढ़ती हुई शिक्षा और चेतना तथा लड़के-लड़कियों के मध्य बढ़ते संवाद और मेल-जोल ने उनके बीच समझदारी, स्वस्थ मित्रता और अपने जीवन के विषय में खुद निर्णय लेने की इच्छा बढ़ाई है। 'ऑनर किलिंग' के बावजूद लड़के-लड़कियां अपने बारे में स्वयं फैसला ले रहे हैं और अब उनकी मदद के लिए समाज के अग्रगामी लोग भी आ रहे हैं। यह एक नयी शुरुआत और आशा की किरण है।

- आशु वर्मा